RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

ई–टेण्डर (E-Tender)

FARE AVERAGE QUALITY TEA (INDIAN CTC TEA) की आपूर्ति का निविदा प्रपत्र

निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता : ....
(मय ईमेल, फैक्स, लैण्डलाइन एवं मोबाईल नं.) ....

....

जमा अमानत राशि का विवरण : ....

निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस का विवरण ....

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा उत्पादनकर्ता/निर्माता/थोक विक्रेताओं से Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) 250 ग्राम की थैली में पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक	–	**17/09/2012 तक**
निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	–	**19/09/2012 सायं 06.00 बजे**
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	–	**20/09/2012 सायं 04:00 बजे**

निविदा प्रस्तुत करने का माध्यम

निविदा प्रपत्र वेबसाइट ***http://eproc.rajasthan.gov.in.*** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा वेबसाइट ***http://eproc.rajasthan.gov.in.*** पर इलेक्ट्रानिक प्रारुप में मात्र **ऑनलाईन** प्रस्तुत किए जा सकते है। **उक्त निविदाऐ ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। निविदा से संबंधित विवरण निगम की वेबसाइट *www.rsfcsc.org*** एवं **खाद्य विभाग की वेबसाइट *www.food.rajasthan.gov.in* पर देखा जा सकता है।**

निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 1000/-

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

क्रमांकः एफ(54)/राराखानाआनि/ चाय की निविदा /2012/ दिनांकः

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा उत्पादनकर्ता/ निर्माता/थोक विक्रेताओं से Fair Average Quality Tea (INDIAN CTC TEA) 250 ग्राम की थैली में पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु निम्न अनिवार्य योग्यताधारी उत्पादनकर्ता/निर्माता/थोक विक्रेताओं से चाय की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :

S. N.	Details of Tea	Approximate Required Qty. in Kgs. (Per Month)	Minimum Supplying Capacity per year (Kgs.)	Minimum Annual Turnover (Rs.)
1.	Fair Average Quality Tea (INDIAN CTC TEA)	500000 Kgs.	1500000 Kgs.	20.00 crore

1 अमानत राशि रूपये 14.00 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.** के पक्ष में जारी हो, निविदा फार्म प्रस्तुत करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

2 अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता निगम के आदेशानुसार सीटीसी चाय की पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु बाध्य होगा।

ई–टेण्डर के ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण हेतु दिशा–निर्देश

1 निविदाए निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी। निर्धारित प्रारुप में अपलोड नहीं की गई निविदाऐं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेंगी।

2 मूल निविदा के समस्त पृष्ठ मय परिशिष्ट आवश्यक रुप से निविदादाता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।

3 ई–टेण्डरिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु निविदादाता वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 19/2011 पत्र संख्या एफ1(1)एफ डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.9.2011 का अवलोकन कर सकते है।

4 निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक निविदादाता को सर्वप्रथम स्वयं को **http://eproc.rajasthan.gov.in.** पर रजिस्टर्ड कराना होगा। ऑनलाईन टेण्डर में भाग लेने वाले निविदादाता को डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट क्रय करना होगा जिसके माध्यम से वे इलेक्ट्रानिक निविदा हस्ताक्षर कर सकते हैं। निविदादाता किसी भी CCA approved certifying Agency यथा TCS, Safe crypt, N code आदि से इसे खरीद सकते है या अतिरिक्त सहायता के लिए e-procurement cell, Department of IT&C, GOR से सम्पर्क कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पहले से वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें उक्त नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

5 निविदा प्रपत्र वेबसाइट **http://eproc.rajasthan.gov.in.** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा वेबसाइट **http://eproc.rajasthan.gov.in.** पर इलेक्ट्रानिक प्रारुप में मात्र ऑनलाईन प्रस्तुत किए जा सकते है।

6 निविदा फार्म शुल्क राशि रू.1000/- का डी.डी. एवं निर्धारित अमानत राशि का डी.डी. जो कि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.Jaipur** के पक्ष में जारी हो तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस रू. 1000/- का डी.डी. जो **M.D. RISL** के पक्ष में जयपुर मे देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा निविदा खोले जाने से पूर्व तीनों डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिए जाने अनिवार्य है। निविदा फार्म शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन्ड (Scanned) कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए।

7 **निगम मुख्यालय में** क्रय समिति द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर **Online Tenders** उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोले जावेंगें।

8 किसी भी दशा में **Physical/Off-line tenders** स्वीकार नहीं किए जावेंगें।

9 वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने मे किसी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। निविदादाता को निर्धारित समय तक अपनी निविदा मय सभी आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड कर देनी चाहिए।

10 ई-टेण्डर प्रस्तुत करनेसे पूर्व निविदादाता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सम्बन्धित दस्तावेज स्केन कर निविदा के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।

11 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

12 ई-टेण्डर प्रक्रिया के संबंध में निविदादाताओं को प्रशिक्षण हेतु **RISL** द्वारा नियमित आधार पर व्यवस्था की जाती है इस बाबत ईच्छुक निविदादाता **E-Procurement Cell, RISL** से सम्पर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का दूरभाष नं. 0141-4022688 है।

प्रबंध निदेशक

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

निविदा का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से राजस्थान के सम्पूर्ण जिलो में स्थापित उचित मूल्य की दूकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) की डोर–स्टेप आपूर्ति करने हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यमों एवं प्रतिष्ठित सीटीसी चाय निर्माताओं/उत्पादनकर्ताओं एवं थोक विक्रेताओं से सीटीसी चाय की आपूर्ति हेतु निविदाऐं 01 सितम्बर 2012 से एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है जिसकी अवधि आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिए बढाई जा सकती है।

सामान्य अनिवार्य शर्ते

1 **किसी भी दशा में Physical/Off-Line Tenders स्वीकार नहीं किए जावेंगें।**

2 निविदाए निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी। निर्धारित प्रारुप में अपलोड नहीं की गई निविदाऐं बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जावेंगी।

3 मूल निविदा के समस्त पृष्ठ मय परिशिष्ट आवश्यक रुप से निविदादाता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित होने चाहिए।

4 **निविदा फार्म शुल्क राशि रू.1000/– का डी.डी. एवं निर्धारित अमानत राशि का डी.डी. जो कि RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. JAIPUR के पक्ष में जारी हो तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस रू. 1000/– का डी.डी. जो M.D. RISL के पक्ष में जयपुर मे देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निविदा खोले जाने से पूर्व तीनों डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रस्तुत कर दिए जाने अनिवार्य है। निविदा फार्म शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन्ड (Scanned) कॉपी ऑनलाईन बिड के साथ अपलोड की जानी चाहिए।**

5 **निविदादाता को निर्धारित समय तक अपनी निविदा अपलोड कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सम्बन्धित/आवश्यक दस्तावेज स्केन (Scan) कर निविदा के साथ संलग्न कर दिए गए हैं।**

6 निविदा दिनांक **19.09.2012 को सायं 6 बजे** तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। दिनांक **20.09.2012 को सायं 4 बजे** क्रय समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **निगम मुख्यालय में** सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी।

7 निगम न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगा।

8 जो भी निविदायें निर्धारित समय व तिथि के बाद अपलोड होगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

9 **निविदायें दोहरे लिफाफा पद्वति के आधार पर प्रस्तुत करनी होगी।** प्रथम लिफाफा **"तकनीकी प्रस्ताव"** तथा द्वितीय लिफाफा **"वित्तीय प्रस्ताव"** होगा । तकनीकी रुप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव अर्थात वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

चाय की आपूर्ति के संबंध में तथा तकनीकी मापदंडों की आवश्यक शर्तो का विवरण

1. निविदादाता द्वारा निविदा की तकनीकी बिड के साथ चाय के निर्धारित मापदंडों के अनुसार 250 ग्राम के 2 सीलपैंक सैम्पल, जिस पर निविदाता कंपनी का नाम लिखा हो एवं सैम्पल के साथ–साथ उसकी लैब रिपोर्ट, टी–टेस्टर रिपोर्ट एवं Blending/Mash Sheet उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता कंपनी को अपने टर्न ओवर के प्रमाणीकरण हेतु गत् 3 वर्षो के Audited Accounts (e.g Balance sheet/Profit & Loss Account etc.) प्रस्तुत करने होंगे।
3. निविदादाता कंपनी को CST/RST अथवा TIN Registraton Number की प्रमाणित प्रति एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी latest assessment Order की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होंगी।
4. निविदादाता कंपनी को अपनी निविदा के साथ PAN NO. की प्रमाणित प्रति एवं गत् 3 वर्षो के Income Tax Assessment Order की प्रतिलिपियां संलग्न करनी होगी।
5. निविदादाता कंपनी/फर्म द्वारा FSSR के तहत् जारी खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं टी–बोर्ड में पंजीयन की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
6. निविदादाता कंपनी द्वारा Name and address in full about the location of "Blending and Packaging Plant" and details of contact person with contact telephone number and e-mail address etc. उपलब्ध करानी होगी।
7. If "Blending" activities is being performed at a separate location from the "Packaging Plant" for supplying 250 gms packs of tea to RSFCSE, the detials of two different locations and details of contact persona of such two different location shall be mentioned.
8. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसे केन्द्र सरकार/टी–बोर्ड/राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम के द्वारा Blacklisted अथवा चाय का व्यापार करने हेतु प्रतिबंधित नही किया गया है।
9. निविदादाता द्वारा गत् 3 वर्षो में कितनी मात्रा में पैक्ड़ चाय का व्यापार राजस्थान में किया गया एवं कंपनी के चाय के कुल टर्नओवर में राजस्थान का कितना टर्नओवर रहा ? इस आशय का कंपनी के सीएस द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता का राजस्थान में रिटेल नेटवर्क होना अनिवार्य है। जिसकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जानी होगी।
11. निविदादाता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रमों में चाय की आपूर्ति करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है तथा इस संबंध में आवेदनकर्त्ता आवश्यक *अनुभव प्रमाण पत्र* उपलब्ध करवायेगा।
12. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबन्ध संचालक, मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा यदि निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल पावर आफ एटर्नी के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटर्नी जारी किया जाता है तो पावर ऑफ एटर्नी दस्तावेज पर सभी भागीदरों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

13. अमानत राशि के अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., JAIPUR** के पक्ष में शिड्यूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जायेगी। असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रुप से स्वीकार करने के बाद यथासंभव शीघ्र लौटा दी जायेगी।

14. अमानत/बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत (forfeit) कर लिया जायेगा :—

- जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है अथवा निविदा प्रक्रिया प्रत्यक्ष /परोक्ष रूप से बाधित करता है।
- जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, निष्पादित नहीं करता है।
- जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने तथा आपूर्ति करने में असफल रहता है।

15. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को कार्याआदेश दिये जाने की दिनांक से सात दिवस के भीतर निविदा मूल्य/कार्यादेश के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि जमानत के रूप में जमा कर कॉरपोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। जमानत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट एवं अन्य सरकारी प्रत्याभूति जैसे— NSC, Bank Guarantee जो कि Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur के नाम से बन्धक होगा, के माध्यम से जमा किया जावेगा। सफल निविदादाता की दो प्रतिशत अमानत राशि को 5 प्रतिशत जमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

16. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहत (forfeit) किया जा सकेगाः—

अ. जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

ब. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

स. प्रतिभूति निक्षेप को समपृहत करने के मामलें में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

17. जमा अर्नेस्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

18. कार्यादेश के अनुसार अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने एवं अनुबन्ध अवधि के समाप्त हो जाने पश्चात् अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं होने पर प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी का प्रतिदाय किया जायेगा।

19. Fair Average Quality Tea (Indian CTC TEA) क्रय निविदा में उल्लेखित क्रय मात्राएं अनुमानित है, जिसमें बाद में जिलों की मांग के आधार पर दर्शायी गयी मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है।

20. Fair Average Quality Tea (INDIAN CTC TEA) का क्रय शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। राज्य सरकार की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इसमें अगर सीटीसी चाय आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नही होंगी।

21. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नही होगा। निविदाकार/सीटीसी चाय प्रदायकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में Fair Average Quality Tea (INDIAN CTC TEA) प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लाईसेंस परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम का कोई दायित्व नहीं होगा। दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की रहेगी। अन्यथा इस स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा।

22. निविदा भरते समय निविदाकार अपनी तरफ से किसी प्रकार की शर्त/अन्यथा टिप्पणी का उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जा सकती है तथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

23. यदि अनुबन्धित निविदाकार निगम द्वारा दिये गये Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) प्रदाय आदेश के अनुसार Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) प्रदाय नही करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किये स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्म से न्यूनता के क्रम में नियमानुसार अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उद्यम/संस्था से इस अनुमोदित सीटीसी चाय निर्माता/उत्पादनकर्त्ता/आपूर्तिकर्त्ता से अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जोखिम एवं खर्चो पर Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) प्रदाय आदेश देने के सात दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) की आपूर्ति करा लें। इस स्थिति में निगम को हुई क्षति/हानि एवं खर्चो की स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत या वास्तविक जो अधिक हो, भुगतान करने का समस्त उत्तरदायित्व सफल अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ता का होगा।

24. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को चाय की पैंकिग पर निगम द्वारा जारी हॉलोग्राम लगाया जाना अनिवार्य होगा। हॉलोग्राम की लागत अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा ही वहन की जायेगी।

25. वित्तीय प्रस्ताव में अंकित दरें शब्दों एवं अंकों में लिखी जानी चाहिये। इसमें त्रुटियां (काट–छांट) उपरिलेखन एवं फ्लूड द्वारा करेक्टिंग नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रुप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित इस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

26. निविदादाता द्वारा दी गई दरें अनुबंध तिथि से 4 माह के लिए वैध होगी। ततपश्चात आवश्यकता होने पर अनुमोदित दरों में प्रत्येक 4 माह के पश्चात् दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

27. FAIR AVERAGE QUALITY TEA (INDIAN CTC TEA) की दरों में परिवर्तन का आधार टी बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी Indian CTC Tea के Auction भाव एवं चाय के थोक बाजार के 4 माह के बाजार भावों की औसत दर एवं औसत दर में अनुबंध के समय अनुमोदित दरों में कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम हुआ, के आधार पर आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। परन्तु इसमें प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा, उक्त निर्णय आपूर्तिकर्त्ता फर्म के लिए बाध्य होगा।

28. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को अनुबंध निष्पादन के समय अनुमोदित दर तथा निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानधारियों को, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों को विक्रय हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य की अंतर राशि जो कि कार्यादेश में दर्शायी गई मात्रा के बराबर की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29. सफल आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को अनुमोदित दरों पर दिये गये कार्यादेशों के क्रम में एक वर्ष के लिए अनुबंध करना होगा। अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित किये जाने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी जिसकी अवधि आपसी सहमति के आधार पर आगामी 6 माह तक के लिए बढाई जा सकती है, जो अनुबंधित निविदाकार को मान्य करना अनिवार्य होगा।

30. निविदा नियमों एवं शर्तो का पालन नही किये जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर निविदाकर्ता की फर्म का नाम काली सूची में दर्ज किया जाएगा।

31. क्रय की अन्य शर्ते राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत भण्डार क्रय नियमों के अनुसार होगी तथा निविदादाता उक्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य होगा।

32. निविदादाता को The Food Saftey and Standards Act, 2006 एवं 2011 के समस्त नियमों व प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य होगा उल्लंघन की दशा में इसके विरूद्ध एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
33. कॉर्पोरेशन का कार्याआदेश अहस्तांतरणीय है, अर्थात जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से तथा अपने रिटेल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है, जिसकी समस्त विधिक एवं वित्तीय जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की ही होगी अन्यथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
34. किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने अथवा पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
35. प्राप्त निविदा के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा/सामान संबंधी शर्तें विस्तृत विवरण आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसको इन शर्तों या विस्तृत विवरण के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
36. सफल निविदाकार द्वारा 500/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पर निगम के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध किया जाना अनिवार्य है।

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

चाय की आपूर्ति से सम्बन्धित आवश्यक शर्तो का विवरण

1. Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) 250 ग्राम नेट वजन की पॉलीपैक (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) में प्रदाय की जाएगी। पॉलीपैक पर ब्रांडिंग का प्रारूप निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा, जिसकी प्रिंटिंग निविदादाता करायेगा। Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) के ब्रांडिंग/नाम/लोगो की प्रति आपूर्ति आदेश के साथ दी जावेगी, पॉली फिल्म साफ, एक समान टैक्सचर की, ट्रांसपेरेंट, मजबूत बिना किसी प्रकार के छेद की होगी। सीटीसी चाय की पैकिंग से सम्बन्धित नमूना निगम द्वारा दी गई डिजाईन में प्रिन्ट कराकर, पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात् ही निगम से सहमति मिलने पर ही चाय की पैंकिग कर अनुमोदित कंपनी के द्वारा आपूर्ति की जायेगी।

2. चाय के निम्नानुसार निर्धारित पैकिंग मेटेरियल के प्रमाणीकरण के संबंध में अनुमोदित आपूतिकर्त्ता कंपनी को Indian Institute of Packeging/NABL प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   <u>चाय की 250 ग्राम पैकिंग हेतु पॉली पैक का विवरणः</u>–

   1. Poly Pouch – 250 Gm Packing – Laminated Poly Pouch – Three Layer
      - 10 Microns Polyester (Size 340mm X 210mm)
      - 12 Microns Metalised Polyester
      - 150 GSM LD (37 Microns)

      Abvoe All Three Layers Pouch.

3. 250 ग्राम चाय के 100 पॉलीपैक, 25–25 किलो के वजन में नये PP बैग्स (जिसकी साईज 19''x20'' एवं जिसका वज़न 45 ग्राम से 50 ग्राम (+/- 5%) होगा) में पैक कर प्रदाय किये जायेंगे। 25 किग्रा के PP बैग में 2.5–2.5 किग्रा के 10–10 चाय के पैकेट पॉलीथीन की थैली में पैक करके 10 बैग रखने होंगे, जिससे चाय की छीजत ना हो। Fair Average Quality Tea (Indian Ctc Tea) परिवहन के साथ 500 खाली पॉलीपैक का भी भंडारण किया जावेगा, जो कि कटी–फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके।

4. चाय की निविदा हेतु निविदादाता फर्म के पास चाय की पैकिंग प्लांट होना चाहिए साथ ही "Blending and Packaging Plant" shall have registered or licensed documents as required under Regulation No. 2.1, 2.1.2, 2.1.2(3), as applicable, of th Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations 2011.

5. In addition to the above requirements, the "Blending and Packaging Plant" shall have at least any one of the following :
   - ISO 22000:2005- Food Safety Management System.
   - HACCP Certificate
   - GMP Certificate

6. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा चाय की जांच NABL प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशाला से "FSSR" [The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011.]के आधार पर निर्धारित मानकों, जो कि परिशिष्ट ''क'' पर दर्शाये गये है, के अनुसार पर लैब रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

7. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को लैब रिपोर्ट के साथ–साथ निगम में सूचीबद्व टी–टेस्टर से चाय के स्वाद एवं कलर की जांच करवाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र, जो कि परिशिष्ठ ''ख'' पर संलग्न है, में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

8. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को 1 माह पूर्व ही आपूर्ति की जाने वाली चाय के बैच का सैम्पल एवं NABL प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशाला से जारी लैब रिपोर्ट एवं निगम में सूचीबद्व टी–टेस्टर की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी तथा निगम मुख्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही जिलों में चाय की आपूर्ति की जावेगी। चाय की आपूर्ति से पूर्व आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा संबंधित जिला प्रबंधक को भी अग्रिम तौर पर सूचित किया जाना होगा।

9. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को चाय की आपूर्ति से पूर्व चाही गई लैब एवं टी–टेस्टर रिपोर्ट के साथ–साथ चाय के बैच की Blending/Mash की शीट भी उपलब्ध करानी होगी।

10. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को राज्य की प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों/डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों पर (परिशिष्ट ''ग'' के अनुसार) कार्यादेश के पश्चात् प्रथम माह में 25 किग्रा चाय (250ग्राम के 100 पैकेट) की जानी होगी तत्पश्चात् मांग के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।

11. आपूर्तिकर्ता को प्रथम वितरण आदेश दिनांक/अनुबंध के निष्पादन दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के अन्दर वांछित चाय का प्रदाय करना होगा, आपूर्ति में 30 दिवस से अधिक विलम्ब होने पर निम्नानुसार पेनल्टी की राशि वसूल की जावेगी अथवा आपूर्तिकर्ता की जमा जमानत राशि में से काट ली जावेगी।

क. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –	2.50%
ख. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए –	5.00%
ग. आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए –	7.50%
घ. विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए –	10.00%

12. प्रथम कार्यादेश के पश्चात् परवर्ती/आगामी माहों में चाय की आपूर्ति जिला प्रबंधक एवं उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों की मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगी।

13. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को निगम द्वारा आवंटित जिलों की उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति की गई चाय की पाक्षिक रूप से सूचना निगम मुख्यालय के साथ–साथ संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में अनिवार्य रूप से भिजवानी होगी।

14. निगम अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अपर्याप्त मात्रा में चाय की प्रदाय की दशा में सीटीसी चाय प्रदाय हेतु ऐसे अन्य उपाय/व्यवस्था कर सकता है जो सीटीसी चाय प्रदाय को निर्बाद्ध और गति पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। प्रदाय पूर्ण नही होने/असफल होने की स्थिति में प्रबन्धन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त अनुबन्धित आपूर्तिकर्त्ता के साथ–साथ ऐसी समानान्तर व्यवस्था से सीटीसी चाय की पूर्ति करावें। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त जोखिम/भार असफल प्रदायकर्ता की होगी। अनुबन्धित आपूर्तिकर्त्ता की कोई भी आपत्ति ऐसी दशा में मान्य नही होगी।

15. प्रदाय की जाने वाली सीटीसी चाय की क्वालिटी निर्धारित मानक स्तर से कम पायी जाती है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा। इसमें निविदादाता की आपत्ति मान्य नही होगी।

16. प्रदाय की गई सीटीसी चाय निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता/मानक स्तर की नही पायी जाने पर प्रदायकर्ता को सीटीसी चाय मूलतः वापस की जा सकती है जिसे प्रदायकर्ता अपने खर्चो से उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/परिवहन/भण्डारण आदि समस्त खर्चो की वसूली प्रदायकर्ता की देयता से की जाएगी।

17. द्वितीय/तृतीय न्यूनतम दर दाता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम दर दाता के विकल्प के रूप में अथवा सीटीसी चाय आपूर्ति क्षेत्र के विस्तार के लिए यदि उसके द्वारा न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए सहमति दी जाती है तो आमजन के हित में आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे, को ध्यान में रखते हुए अनुमोदत किया जा सकता है।

18. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को अपने लेखों का संधारण जैसे स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, कैश बुक, बिल आदि का संधारण करना होगा एवं जांच हेतु निगम के अधिकारी/कर्मचारियों अथवा निगम द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाने को गंभीर अनियमितता माना जावेगा एवं इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी को चाय की **अन्तर राशि** (उचित मूल्य दुकानदारो के विक्रय मूल्य की राशि – अनुमोदित दर) को **आगामी माह की 10 तारीख तक** निगम मुख्यालय में जमा करानी होगी तथा इसकी सूचना संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में भी दी जानी अनिवार्य होगी, **अन्यथा विलम्ब हेतु 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से राशि वसूली जायेगी**।

20. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता कंपनी के विरुद्ध यदि निविदा अवधि एवं उसके पश्चात भी लेखो की जांच में विसंगतियां पाई जाती है तो राशि ब्याज सहित तुरन्त जमा करानी होगी।

21. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता द्वारा सीटीसी चाय के प्रत्येक पैक पर **तोल एवं माप अधिनियम व डिब्बा बंद नियमों** के अन्तर्गत सभी सूचनाऐं अनिवार्य रूप से अंकित करानी होगी जैसे Name & Full address of Manufacturer/Packer, Name of commodity, Net weight, Maximum Retail Price including all taxes of Commodity and Month & Year of Packing of Commodity /Best Before six months of manufacturing and packing of tea / Lot No. .... प्लास्टिक पैक उत्तम क्वालिटी तथा नॉन टॉक्सिक सामग्री से निर्मित होना आवश्यक होगा तथा पैकेट पर नाम व लोगो निगम द्वारा दिये अनुसार प्रिन्ट करवाना होगा तथा पॉलिपैक पर ***MARKETED BY RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. (A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)*** अंकित करवाना होगा।

22. निविदादाता द्वारा चाय की पैकिंग करने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य निर्दिष्ट स्थान पर चाय की आपूर्ति सही मात्रा, गुणवत्ता में दी जावेगी तथा निगम द्वारा दिये गए विक्रय सम्बन्धी आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावेगी। निगम द्वारा चाय के उत्पादन एवं पैकिंग स्थान तथा उचित मूल्य की दुकान पर चाय की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में सैम्पलिंग की जावेगी। सेम्पल में कमी पाये जाने पर आपूर्ति कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा एफ.एस.एस.ए. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

घोषणा पत्र

मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों को पढ़ लिया है एवं इनको मान्य एवं स्वीकार करते हुये इनकी पालना के लिये वचनबद्ध है तथा निगम की शर्तों पर बिना शर्त हमारी सहमति देते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

चाय के तकनीकी मापदण्ड

यह कि निविदादाता द्वारा प्रदाय की जाने वाली Fair Average Quality Tea (INDIAN CTC TEA) में निम्नानुसार विशिष्टीकरण/पैरामीटर्स होंगे :–

(A) **QUALITY** - Indian CTC Tea shall be the product processed by CTC tea manufacturing method exclusively from fresh buds, young leaves and tender steam sof the plant of genus camellia. It shall have the granulate appearance characteristic of CTC Tea.

(B) The Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) shall be a blend of following broken and fannings grades and origin of garden Tea(s) :

(a) <u>GRADE</u>

	Grade	Grade % (percentage)
(i)	BOP	Not more than 8%
(ii)	BOPSM	Not less than 30%
(iii)	BP	Not less than 57%
(iv)	OF/PF	0 - 5 %

(b) <u>ORIGIN</u>

(i)	Assam
(ii)	Dooars (West Bengal)

(C) The blended tea shall be dry and have pleasant aroma and shall be free from baggy, cheesy, chesty and stale smells. It shall not contain any added colourings matter or flavour or preservatives and shall be free from iron particles and exhausted tea leaves. It shall be free from stalky and fibrous tea(s).

(D) **HYGIENE** - The Indian CTC shall be blended and packed in premises maintained in the hygienic conditions which shall be open to inspection at any time by a competent authority.

(E) **INSPECTION** - The Indian CTC Tea in addition to being subjected to the provision of the 2.10.1 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011, the under mentioned 'Organolyptic Parameters' are also required to be assessed by Tea tasters.

(i) Appearance of Dry Tea, Insused leaves & Liquor.
(ii) Strength of Liquors.
(iii) Briskness of Liquor
(iv) Taste of Liquors
(v) Aroma

(F) Blending- The Supplier should have their own Tea Blending and Packing Unit having sufficient production, packing & suppliying capacity for the purpose of supplying required quantity and quality of Tea and able to extend the capacity, if required.

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

वित्तीय बिड

PROFORMA FOR FILLING IN RATES FOR THE SUPPLY OF FAIR AVERAGE QUALITY TEA (INDIAN CTC TEA)

Name of Tenderer: ______________________

Address : ______________________

A	For 1 kg. Fair Average Quality Tea (Indian CTC Tea) by weight i.e.(in four packets of 250 gms. each)	Rates inclusive of Vat & All other Taxes	
		FOR delivery at FPS dealers/Dairy Boths/Confed Stores	
		Rates (in feigure)	Rates (in word)

आवश्यक नोट

1- निविदादाता द्वारा दी गई दरें अनुबंध तिथि से 4 माह के लिए वैध होगी। ततपश्चात आवश्यकता होने पर अनुमोदित दरों में प्रत्येक 4 माह के पश्चात् दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

2- FAIR AVERAGE QUALITY TEA (INDIAN CTC TEA) की दरों में परिवर्तन का आधार टी बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी Indian CTC Tea के Auction भाव एवं चाय के थोक बाजार के 4 माह के बाजार भावों की औसत दर एवं औसत दर में अनुबंध के समय अनुमोदित दरों में कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम हुआ, के आधार पर आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। परन्तु इसमें प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा, उक्त निर्णय आपूर्तिकर्त्ता फर्म के लिए बाध्य होगा।

(वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे में दी जानी है, इसे तकनीकी निविदा के लिफाफे में नहीं डाला जावे अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकती है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट – क

चाय की लैब रिपोर्ट हेतु निर्धारित मानकों का विवरण

S.No.	Test Perameters	Justified Perameteres for Report	Actual Report
a	Total ash determined on tea dried to a constant weight at 100º c	4.0 to 8.0 percent by weight	
b	Total ash soluble in boiling distilled water	Not less than 45 percent of total ash	
c	Ash insoluble in HCL	Not more than 1.0 percent by weight on dry basis	
d	Extract obtained by boiling dry tea (dried to constant weight at 100º c) with 100 parts of distilled water for one hour under reflux	Not less than 32.0 percent	
e	Alkalinity of soluble ash	Not less than 1.0 percent and not more than 3.0 percent expressed as K2O on dry basis	
f.	Crude fibre determined on tea dried to constant weight at 100º c	Not more than 16.5 percent	

NOTE :

1. It shall not contain any added colouring matter or added flavouring matter.

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट – ख

टी–टेस्टर द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

Sample No.			
S.No.	**Criteria**	**Description**	**Score on a scale of 10**
1	Appearance Of Dry Tea		
2	Appearance Of Infused Leaf		
3	Appearance Of Liquor		
4	Taste Of Liquor		
5	Briskness Of Liquor		
6	Body / Strength Of Liquor		
7	Aroma		

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

परिशिष्ट – ग

List of Districtwise FPS

क्र. सं.	नाम जिला / संभाग	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणी अनुसार स्थिति							आपूर्ति की जाने वाले चाय की प्रारम्भिक मासिक मात्रा (किलो में)
		शहरी		ग्रामीण		कुल			प्रति दुकान पर 25 किलो मात्रा के आधार पर
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	31	417	144	413	175	830	1005	25125
2	अलवर	19	103	83	766	102	869	971	24275
3	बांसवाडा	2	48	100	489	102	537	639	15975
4	बारां	8	67	27	411	35	478	513	12825
5	बाडमेर	1	109	183	711	184	820	1004	25100
6	भरतपुर	6	192	53	586	59	778	837	20925
7	भीलवाडा	29	112	306	403	335	515	850	21250
8	बीकानेर	21	189	67	517	88	706	794	19850
9	बूंदी	2	92	44	250	46	342	388	9700
10	चित्तौडगढ	7	100	89	419	96	519	615	15375
11	चूरू	5	231	125	578	130	809	939	23475
12	दौसा	2	63	74	577	76	640	716	17900
13	धौलपुर	8	72	45	276	53	348	401	10025
14	डूंगरपुर	3	43	108	374	111	417	528	13200
15	श्रीगंगानगर	42	186	138	335	180	521	701	17525
16	हनुमानगढ	42	174	28	432	70	606	676	16900
17	जयपुर	45	666	121	746	166	1412	1578	39450
18	जैसलमेर	9	19	31	257	40	276	316	7900
19	जालौर	6	54	132	428	138	482	620	15500
20	झालावाड	5	79	61	407	66	486	552	13800
21	झुन्झुनूं	5	149	67	517	72	666	738	18450
22	जोधपुर	202	189	275	574	477	763	1240	31000
23	करौली	4	76	50	410	54	486	540	13500
24	कोटा	29	316	60	330	89	646	735	18375
25	नागौर	6	194	88	827	94	1021	1115	27875
26	पाली	8	191	127	439	135	630	765	19125
27	प्रतापगढ	1	26	47	221	48	247	295	7375
28	राजसमंद	6	46	69	361	75	407	482	12050
29	सीकर	1	232	84	559	85	791	876	21900
30	सिरोही	8	47	61	274	69	321	390	9750
31	सवाईमाधोपुर	3	92	28	410	31	502	533	13325
32	टोंक	1	111	60	388	61	499	560	14000
33	उदयपुर	26	221	186	767	212	988	1200	30000
	महायोग	**593**	**4906**	**3161**	**15452**	**3754**	**20358**	**24112**	**602800**

- *आपूर्ति एवं मांग के अनुसार चाय की मासिक मात्रा में कमी/वृद्धि हो सकेगी।*

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government Undertaking)
Head Office: 501, 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: Gen. 0141-2744649, 2744692 Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com, website: www.rsfcsc.org

निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रेषक,

.... (चाय प्रदायकर्ता का नाम
.... एवं पूर्ण पता)
....

निविदाकार अपना पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो यहां चिपकाऐं

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.,
जयपुर (राजस्थान)

प्रिय महोदय,

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा Fare Average Quality Tea (Indian CTC Tea) **250 ग्राम** की थैली में पैकिंग कर राज्य की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों तक डोर–स्टेप डिलेवरी करने हेतु (As per The Food Saftey and Standards [Food Products Standards and Food Additives] Regulations, 2011) प्रकाशित निविदा सूचना को पढकर हमने/मैंने यह निविदा फार्म अपलोड किया है। हमने/मैनें निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशो/निविदा/शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये संविदा विवरण को भलीभांति पढ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं निविदा शर्तो के पालन के लिए सहमत हैं/हूं।

2. हम/मैंने Fare Average Quality Tea (Indian CTC Tea) राजस्थान की समस्त उचित मूल्य की दुकानों, डेयरी बूथों एवं चिन्हित उपभोक्ता भंडारों पर डोर स्टेप डिलीवरी करने (जिसमें दरें समस्त करों सहित एवं लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) संबंधी प्रकाशित निविदा के क्रम में यह निविदा भर रहे है। हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है–

01	निविदाकार का नाम व पता	....
02	दूरभाष क्रमांक कार्यालय	....
	इंडस्ट्रीज	....
	ई–मेल	....
	मोबाइल नं.	....
03	निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म /कंपनी /स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)	....
04	मुखिया (कर्ता) का नाम एवं पता	....
05	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम /पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	....

06	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	....
07	फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)	....
08	आयकर रिटर्न तथा पेन की सत्यापित प्रति संलग्न करें	....
09	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखे)	....
10	चाय प्रदाय कार्य का अनुभव (वर्षो में) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
11	वर्तमान मे किस शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में चाय प्रदाय कार्य कर रहे है, विवरण दें।	....
12	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि (EMD) का विवरणः	
	रूपये	....
	बैंक ड्राफ्ट नं.	....
	बैंक का नाम	....
	दिनांक	....
13	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	1. ....
		2. ....
		3. ....

3. यदि निगम द्वारा हमे/मुझे Fare Average Quality Tea (Indian CTC Tea) प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।

4. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते है/करता हूँ कि निविदा फार्म में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर	:	....
नाम	:	....
फर्म का नाम	:	....
पूरा पता	:	....
पदनाम	:	....
मुहर	:	....

नोटः– इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए एवं संपूर्ण रिक्त स्थानों में प्रविष्टि अति आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर ....

निविदाकार का नाम ....